न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 106/19 निर्णय दिनांक: 27-5-2022
(जीसीएमएस संख्या 2019/00155)

1. सीताराम पुत्र चेनाराम जाति मेघवाल निवासी पंचकोसा तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 19—03—2001
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—
1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 19—03—2001 जिसके द्वारा अपीलांट का रकबा पूर्व में अन्य को आवंटन बताकर आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् ने बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल के चक 4 डीएलएम के मुरब्बा नम्बर 173/13 में विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट् द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। उसके पश्चात् अपीलांट को कहा गया कि जब भी रकबा आवंटन करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड नोटिस सूचित कर दिया जावेगा। अपीलांट रकबा आवंटन की सूचना का इंतजार करता रहा व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19–03–2001 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से उक्त आवेदन पत्र में आवेदित रकबा पूर्व में अन्य को आवंटित होने का बताकर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। जबकि अपीलांट् द्वारा आवेदित रकबा विशेष आवंटन के गजट में नोटिफाईड किया हुआ है। जो कि स्कीम का रकबा था व अभी भी गजट में आरक्षित है तथा अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं है। यदि वादग्रस्त भूमि पूर्व में अन्य को आवंटित थी तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत अथवा राजस्व अमलें को इस आश्य का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जाना चाहिए था कि उक्त भूमि पूर्व में आवंटित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा उक्त रकबे के स्थान पर अन्य रकबे के आवंटन की मांग अदालत मातहत के समक्ष की जाती। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त गजट का मिलान ही नहीं किया व एक साईक्लोस्टाईल आर्डरशीट में चक नम्बर व मुरब्बा नम्बर भरकर अपीलांट् के प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–03–2001 के विरूद्व अपील दिनांक 01–07–19 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट् द्वारा आवेदित भूमि पूर्व से ही अन्य को आवंटित भूमि है ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–03–2001 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 01–07–2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल में चक 4 डीएलएम के मुरब्बा नम्बर 173/13 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक 4 डीएलएम के मुरब्बा नम्बर 173/13 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलांट आवंटन प्रार्थना पत्र पर आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में जॉच के दौरान यह पाया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित मुरब्बा अपीलांट के आवंटन से पूर्व ही अन्य व्यक्ति को आवंटित है। ऐसीस्थिति में जब अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व से ही अन्य को आवंटित हो चुकी है, लिहाजा उक्त भूमि अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादग्रस्त भूमि आज दिनांक को आराजीराज दर्ज रिकार्ड हो। विशेष आवंटन नियमों में अन्य भूमि प्रदान किये जाने के प्रावधान निहित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 19—03—2001 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 27/5/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

27/5/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर